**सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को आपूर्ति**

1747. **श्री दिलीप सिंह जुदेव :** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को राज्य-वार दी गई खाद्यान्नों मिट्टी के तेल तथा खाद्य तेलों की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन्हे जारी की गई मात्रा में से राज्य-वार कितनी मात्रा उठाई गई तथा कितनी मात्रा नहीं उठाई गई;

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किन-किन वस्तुओं की आपूर्ति मांग से कम मात्रा में की गई तथा किन-किन वस्तुओं की आपूर्ति मांग से अधिक रही; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई मिट्टी के तेल की मात्रा के मुकाबले वास्तविक रूप से आपूर्ति की गई मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

**नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद)** : (क) और (ख) 1991-92 व 1992-93 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की गई आवश्यक वस्तुओं के आबंटन तथा उनकी उठाई गई मात्रा के वितरण अनुपत्र सं० में दिए गए हैं । (**देखिये** परिशिष्ट 168 अनुपत्र सं० **30** और **31**) :

(ग) केंद्रीय सरकार राज्यों से प्राप्त मांग केन्द्रीय पूल में उपलब्ध भण्डार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पारस्परिक आवश्यकताओं तथा मौसमजन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का थोक में आबंटन करती है । प्राकृतिक आपदाओं आदि के समय विशेष आबंटन भी किए जाते हैं । तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटन अनुपूरक स्वरुप के होते हैं और उनका प्रयोजन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समुची मांग को पूरा करना नहीं होता है ।

(घ) 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मिट्टी के तेल के आबंटन में वृद्धि करना सम्भव नहीं था । आमतौर पर मध्य प्रदेश सहित किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को उनके द्वारा मांगी गई सम्पूर्ण मात्रा आबंटित नहीं की जा सकी है ।

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

1748. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री 26 जुलाई 1993 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 2 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी पैनल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां तो कब और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार(श्री कमलुद्दीन अहमद)** (क) से (ग) सरकार को 30 जुलाई 1993 को प्राप्त हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट विचार के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री समिति के सम्मुख रखी जाएगी। रिपोर्ट की सिफारिशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कई पक्षों पर विचार किया गया है जैसे सम्पन्न वर्गों को प्रणाली से बाहर करना केन्द्रीय निर्गम मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य से सम्बन्ध न करना, आबादी के जरुरतमंद तथा पात्र वर्गों को आपूर्ति में वृद्धि करना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आमतौर पर मजबूत तथा सुव्यवस्थित करना।

**Medical Services under Consumer Protection Act**

1749. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Consumer Protection Act covers the medical services; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) and (b) All services which are hired or availed of for a consideration are covered under the Consumer Protection Act, 1986. As such, the services rendered by medical profession which are hired for a consideration come under the perview of the Act.

**Release of Additional Sugar for Distribution through Public Distribution System**

1750. SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government have allocated additional sugar in July, 1993 for distribution to Ration Card holders through P.D.S.;

(b) if so, the details of additional quantity released;

(c) what was the allocation of sugar prior to this additional allocation for Delhi;

(d) whether Government propose to continue the enhanced allocation for future in Delhi; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) to (e) National Capital Territory of Delhi is being given an additional ad-hoc allocation of 1200 tonnes of levy sugar per month for the Public Distribution System since July, 1993. This additional allocation is being continued for the present.

The normal levy sugar allocation to Delhi is 9157 tonnes per month.

**Time limit for Collection of amount from FPSs in Delhi**

1751. SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Food and Civil Supplies Department of Delhi has fixed some dates for collection of amount in the form of Demand Draft from F.P.Ss of Delhi to ensure timely supplies of rationed items;

(b) if so, the details of these dates itemwise;

(c) whether some instructions exist for the staff of Circle Offices to hand over these drafts to F.C.I. offices within some time limit;